न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 11/2024
3. उनवान :1. अमर चन्द पुत्र कजोड
   2. मालीराम पुत्र सुरजमल
   3. अशोक पुत्र भंवरलाल
   4. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल
   5. भैरूलाल पुत्र श्रीनारायण
   6. रामनिवास पुत्र श्रीनारायण
   7. कैदारमल पुत्र श्रीनारायण
   8. गिरधारी पुत्र श्रीनारायण

   समस्त 01 लगायत 08 निवासी ग्राम भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. मन्दिर श्री गोपीनाथजी जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर ग्रमीण।

रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री प्रभु सिंह राजावत अपीलांट्स की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

अपीलार्थीगण द्वारा सजरा खानदान प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि अपीलांट्स ग्राम भैंसावा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण के मूल निवासी काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी विजयलाल पुत्र हीरानन्द थे, जिनकी मृत्यु पर लक्ष्मीनारायण, सुरजमल व श्रीनारायण पुत्रान् विजयलाल विधिक वारिस हुए। श्रीनारायण पुत्र विजयलाल नाबालिग होने से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 300 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 305 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, कुल किता–2, कुल रकबा 04 बीघा की खातेदारी लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पि. विजयलाल के नाम संवत् 2011 लगायत 2029 के भूप्रबन्ध सर्वे में दर्ज रिकॉर्ड हुई। जिसमें विजयलाल के तीनों वारिस लक्ष्मीनारायण, सुरजमल व श्रीनारायण साधिकार काबिज काश्त थे। ग्राम भैंसावा स्थित खसरा संख्या 300 व 305 जागीर भूमि थी, जिसके मूल जागीरदार आनन्द सिंह पुत्र समुद्र सिंह थे तथा उपजागीरदार मन्दिर श्री गोपीनाथजी थे। उक्त भूमि जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि नहीं थी बल्कि अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी विजयलाल की विरासत होकर खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि जागीर भूमि होकर माफी मन्दिर की जागीर में दी हुई थी, जो जागीरदार की खुदकाश्त भूमि कभी भी नहीं रही है। वर्तमान में अपीलांट्स विरासतन हकों के तहत साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है, लगान जमाने जागीर में जागीरदार को अदा करते थे, वर्तमान में राज्य सरकार को अदा कर रहे थे। इस समय लगान माफ है, जो कभी भी खुदकाश्त भूमि नहीं रही है। जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 के तहत जागीर भूमियां रिजम्पशन होने पर उनकी खुदकाश्त भूमियां जागीरदारान् के नाम अंकित रही, लेकिन जो भूमियां जागीर में खुदकाश्त नहीं थी अर्थात् जिन पर कृषकों के अधिकार पूर्व से ही चले आ रहे थे, वो धारा 9 के तहत खातेदार काश्तकार हो गये तथा राज्य सरकार को लगान अदा करते रहे। इस प्रकरण की विवादित भूमि जागीर भूमि नहीं होने से जागीरदारों के नाम के स्थान पर राज्य सरकार का नाम जागीर रिजम्पशन होने पर दर्ज हो गया लेकिन मिन अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पि. विजयलाल पूर्व से ही खातेदार होने से उनका नाम विधिक प्रावधानों के तहत यथावत चलता रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान् कजोड पुत्र लक्ष्मीनारायण व गुलाब देवी बेवा सुरजमल

मालीराम पुत्र सुरजमल के नाम दर्ज चली आ रही थी। जयपुर रियासत का भारत संघ में विलय के पश्चात् टीनेन्सी प्रोटेक्शन आर्डिनेंस 1949 आ चुका था। जागीर रिजम्पशन अधिनियम 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव से खातेदारी अधिकार लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पुत्रान् विजयलाल के नाम सही रूप से दर्ज चली आ रही थी, जो खुदकाश्त की जागीर भूमि नहीं थी बल्कि अपीलांट्स के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के बाबत् तहसीलदार फुलेरा मु सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा तत्कालीन खातेदारान् कजोड़ पुत्र लक्ष्मीनारायण व श्रीमती गुलाबी बेवा सुरजमल, मालीराम पुत्र सुरजमल को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के बिना ही तहसीलदार फुलेरा ने खातेदारी भूमि को माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी की मन–मर्जीपूर्वक दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामातंरण संख्या 1269 पर निर्णय दिनांक 22.01.2004 को पारित करने से पूर्व खातेदारान/अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय/आदेश निरस्तनीय है। तहसीलदार ने एक अन्य भूमि के बाबत् भी नामान्तरकरण संख्या–1268 निर्णय दिनांक 22.01.2004 को ही एकसाथ पारित किया था, जिसके प्रभावित पक्षकारान् को जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी याचिका संख्या 4146/2008 उनवानी ओमप्रकाश बनाम बादामी देवी पर पारित निर्णय दिनांक 02.06.2009 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1268 दिनांक 22.01.2004 खारिज किया जाकर पूर्ववत् खातेदारान् के नाम पुनः दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या– 1269 पर पारित निर्णय दिनांक 22.01.2004 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, जो अब जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम भैसावा स्थित खसरा संख्या 300 व 305 जागीर भूमि थी, जिसके मूल जागीरदार आनन्द सिंह पुत्र समुद्र सिंह थे तथा उपजागीरदार मन्दिर श्री गोपीनाथजी थे। उक्त भूमि जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि नहीं थी। बल्कि अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी विजयलाल की विरासत होकर खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि जागीर भूमि होकर माफी मन्दिर की जागीर में दी हुई थी, जो जागीरदार की खुदकाश्त भूमि कभी भी नहीं रही है। वर्तमान में अपीलांट्स विरासतन हकों के तहत साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है, लगान जमाने जागीर में जागीरदार को अदा करते थे, वर्तमान में राज्य सरकार को अदा कर रहे थे। इस समय लगान माफ है। जो कभी भी खुदकाश्त भूमि नहीं रही है। जिससे नामान्तरकण संख्या 1269 पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2004 विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत जागीर भूमियां रिजम्पशन होने पर उनकी खुदकाश्त भूमियां जागीरदारान के नाम अंकित रहीं लेकिन जो भूमियां जागीर में खुदकाश्त नहीं थी अर्थात जिन पर कृषकों के अधिकार पूर्व से ही चले आ रहे थे, वो धारा 9 के तहत खातेदार काश्तकार हो गये। तथा राज्य सरकार को लगान अदा करते रहे। इस प्रकरण की विवादित भूमि जागीर भूमि नहीं होने से जागीरदारों के नाम के स्थान पर राज्य सरकार का नाम जागीर रिजम्पशन होने पर दर्ज हो गया लेकिन मिन अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पि. विजयलाल पूर्व से ही खातेदार होने से उनका नाम विधिक प्रावधानों के तहत यथावत चलता रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान् कजोड़ पुत्र लक्ष्मीनारायण व गुलाब देवी बेवा सुरजमल, मालीराम पुत्र सुरजमल के नाम दर्ज चली आ रही थी। जयपुर रियासत का भारत संघ में विलय के पश्चात् टीनेन्सी प्रोटेक्शन आर्डिनेंस 1949 आ चुका था। जागीर रिजम्पशन अधिनियम 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव से खातेदारी अधिकार लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पुत्रान् विजयलाल के नाम सही रूप से दर्ज चली आ रही थी, जो खुदकाश्त की जागीर भूमि नहीं थी बल्कि अपीलांट्स के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी। जब अपीलांट्स ने सहकारी लोन हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 08.09.2023 को जमाबंदी की प्रतिलिपि मांगी, तो रिकॉर्ड देखने पर खसरा संख्या 300 व 305 माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्ज होना पाया गया। जिससे दिनांक 13.09.2023 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1269 पर पारित निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त की। उक्त अपील का निर्णय एकपक्षीय होने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1269 ग्राम भैसावा, तहसील फुलेरा, हाल तहसील जोबनेर, जिला जयपुर पर पारित निर्णय दिनांक 22.01.2004 को खारिज फरमाया जाकर, खातेदारी पूर्वानुसार अपीलांट संख्या–1 हिस्सा 1/3, अपीलांट संख्या–2 हिस्सा 1/3, अपीलांट संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/15, अपीलाट संख्या 5 लगायत 8 हिस्सा 4/15 दर्ज करने के आदेश पारित करें।

अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से सरकार पैरोकार पेश हुए। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम भैंसावा स्थित खसरा संख्या 300 व 305 जागीर भूमि थी, जिसके मूल जागीरदार आनन्द सिंह पुत्र समुद्र सिंह थे तथा उपजागीरदार मन्दिर श्री गोपीनाथजी थे। उक्त भूमि जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि नहीं थी बल्कि अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी विजयलाल की विरासत होकर खातेदारी भूमि थी। जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 के तहत जागीर भूमियां रिजम्पशन होने पर जिन कृषकों के अधिकार पूर्व से ही चले आ रहे थे, वो धारा 9 के तहत खातेदार काश्तकार हो गये तथा राज्य सरकार को लगान अदा करते रहे। इस प्रकरण की विवादित भूमि जागीर भूमि नहीं होने से जागीरदारों के नाम के स्थान पर राज्य सरकार का नाम जागीर रिजम्पशन होने पर दर्ज हो गया लेकिन मिन अपीलांट्स के हक पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पूर्व से ही खातेदार होने से उनका नाम विधिक प्रावधानों के तहत यथावत चलता रहा। उक्त भूमि के बाबत् तहसीलदार फुलेरा द्वारा तत्कालीन खातेदारान को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना खातेदारी भूमि को जरिये नामातंरण संख्या 1269 निर्णय दिनांक 22.01.2004 माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी की मन–मर्जीपूर्वक दर्ज कर दी। तहसीलदार ने एक अन्य भूमि के बाबत भी नामान्तरकरण संख्या–1268 निर्णय दिनांक 22.01.2004 को साथ ही पारित किया था जिसकी अपील करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.06.2009 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1268 दिनांक 22.01.2004 खारिज किया जाकर पूर्ववत् खातेदारान के नाम पुनः दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या– 1269 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। इसी प्रकार के एक प्रकरण की प्रति बिदामी वगै0 बनाम सरकार वगै0 में माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2008 द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण एवं अति0 कलक्टर द्वितीय के निर्णय दिनांक 20.09 2004 को निरस्त किया गया है, जो इस अपील में सम्यक् रुप से चस्पा होते हैं।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1269 ग्राम भैंसावा, तहसील फुलेरा, हाल तहसील जोबनेर, जिला जयपुर पर पारित निर्णय दिनांक 22.01.2004 को खारिज फरमाया जाकर, खातेदारी पूर्वानुसार अपीलांट संख्या–1 हिस्सा 1/3, अपीलांट संख्या–2 हिस्सा 1/3, अपीलांट संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/15, अपीलांट संख्या 5 लगायत 8 हिस्सा 4/15 दर्ज करने के आदेश पारित करें।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जागीर रिजम्पशन अधिनियम 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण खोला गया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त नामान्तकरण संख्या 1269 राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में तहसीलदार के आदेश क्रमांक एलआर/03/1280–96 दिनांक 02.04.2003 द्वारा भारा [illegible] स्वीकृत किया गया था। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथा तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है।

[illegible] अपीलान्ट की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 ग्राम भैंसावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के खाता संख्या 153 के कॉलम 4 नाम उपभोक्ता में अंकन है–"माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह बअहतमाम पुजारी भूराराम वल्द श्योनारायण व मगन लाल वल्द रामेश्वर एव माफी मंदिर श्री रुघनाथ जी वाके देह बअहतमाम पुजारी लक्ष्मीनारायण व सूरजमल श्रीनारायण पि विजयलाल" तथा कॉलम 5 नाम कृषक में अंकन है– "लक्ष्मीनारायण व सूरजमल पि. विजयलाल" इसमें माफी मन्दिर श्री रुघनाथ जी के आगे तो खुदकाश्त अंकित है मगर माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के आगे "लक्ष्मीनारायण व सूरजमल पि. विजयलाल" अंकन है। इन अंकन से स्पष्ट है कि माफी मंदिर के पुजारीगण लक्ष्मीनारायण व सुरजमल पि0 विजयलाल का नाम ही कॉलम 5 मे बतौर काश्तकार अंकित है। इस प्रकार एक ही खाता संख्या 153 मे अंकित मंदिर के पुजारी ही बतौर काश्तकार दर्ज हैं, जिससे यह समाधान है कि उक्त मंदिरों के पुजारीगण के बतौर काश्तकार दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों का सेटलमेंट के पश्चात आगामी जमाबंदियों मे बिना परीक्षण किये बतौर खातेदार काश्तकार अंकन किया जाना त्रुटिपूर्ण था, जिसको तहसीलदार फुलेरा द्वारा नामातकरण संख्या 1298 दिनांक 22.01.04 द्वारा निरस्त कर उक्त भूमियाँ खसरा नम्बर 300 व 305 ग्राम भैंसावा तहसील फुलेरा को माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज किया गया जो कि विधिसम्मत है।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र प.क्र–3 (2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 पर अंकित किया है" जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप मे दर्ज थी, उस भूमि मे किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मंदिर मूर्ति निरंतर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमे मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय मे रेफरेंस की कार्यवाही की जावे।"

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उक्त परिपत्र का बिन्दु सख्या 2 हस्तगत प्रकरण पर लागू होता है। उक्त बिन्दु के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जानी थी परन्तु उक्त परिपत्र 2007 का है व अपीलाधीन आदेश 2004 का है। अपीलाधीन नामांतकरण आदेश द्वारा की गई कार्यवाही का प्रभाव व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 300 व 305 ग्राम भैंसावा का माफी मंदिर गोपीनाथ के नाम इन्द्राजात सही व विधिपूर्ण है, जिनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर